

संख्या:- पी0/वि0प0-ह0-07/2022-5500/

बिहार सरकार
गृह विभाग (विशेष शाखा)

अतिआवश्यक

प्रेषक,

भवेश कुमार सरदार,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

✓ सचिव,
परिवहन विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 05/07/2024

विषय :- श्री कुमार नागेन्द्र, माननीय स0वि0प0 द्वारा 207वें सत्र में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या-1/207/21 के हस्तांतरण के संबंध में।


महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में बिहार विधान परिषद् से प्राप्त श्री कुमार नागेन्द्र माननीय स0वि0प0 द्वारा 207वें सत्र में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या-1/207/21 की मूलप्रति संलग्न करते हुए कहना है कि तारांकित प्रश्न का विषयवस्तु "लालबती एवं हुटर लगाने पर प्रतिबंध" से संबंधित है। बिहार विधान परिषद् को उक्त तारांकित प्रश्न का उत्तर प्रतिवेदन परिवहन विभाग, बिहार, पटना के स्तर से ही प्रेषित किया जाना समीचीन है।

अनुरोध है कि विषयांकित तारांकित प्रश्न का उत्तर अपने स्तर से बिहार विधान परिषद् सचिवालय, पटना को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय। इसकी सूचना बिहार विधान परिषद् सचिवालय, पटना को दी जा रही है।

अनुलग्नक-यथोक्त।

विश्वासभाजन


(भवेश कुमार सरदार)
सरकार के अवर सचिव।



तारांकित प्रश्न

1/207/21

24/06/2024

26/06/2024

26/06/2024

Member
Department


लालबती एवं हुटर लगाने पर प्रतिबंध
श्री कुमार नागेन्द्र(स्थानीय प्राधिकार, जहानाबाद, गया एवं अरवल)
गृह

तारांकित प्रश्न गृह विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

क्या माननीय मंत्री "गृह" विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

1. क्या यह सही है देश / राज्य में V.I.P. संस्कृति को समाप्त कर दिया गया है तथा किसी भी जनप्रतिनिधि को लाल बत्ती एवं हुटर लगाने पर प्रतिबंध है;
2. क्या यह सही है कि जनप्रतिनिधियों को तो लालबती लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है परन्तु प्रशासन के कई अधिकारी लगातार बत्ती एवं हुटर का प्रयोग करते हैं, जिस कारण यह नियम देश में V.I.P. संस्कृति को पूर्णतः समाप्त करने में बाधा उत्पन्न कर रही है,
3. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार शीघ्र अधिकारियों पर भी बत्ती एवं हुटर लगाने पर प्रतिबंध का विचार रखती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

परिवहन विभाग
श्री देवेंद्रजन जी


05.07.2024.

1361
5.7.24.